

FORM OF ORDER SHEET
IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA)
[Aaganbari Appeal Case No.-81/2025]

Indu Kumari.....Appellant

Versus

State of Bihar & Others.....Respondents

Serial No.	Date of order of proceeding	Order with signature of the court	Office action taken with date
1	2	3	4
	29.9.2026	आदेश प्रस्तुत आंगनवाडी पुनरीक्षण वाद समाहर्ता, सुपौल के आंगनवाडी अपील वाद सं0-16/2022 (रंजू देवी बनाम इन्दु कुमारी) में दिनांक-04.01.2025 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। पुनरीक्षणकर्ता का कथन है कि - - प्रखंड सुपौल के ग्राम पंचायत बसबिट्टी वार्ड नं0-03 के आंगनवाड़ी केन्द्र सं0-314 जो अनुसूचित जाति वर्ग के लिये आरक्षित था, के सेंविका पद के लिए प्रकाशित विज्ञापन सं0-01/2018 के अन्तर्गत उनके द्वारा सभी बांछित कागजात एवं प्रमाणपत्र के साथ आवेदन किया गया। - प्रकाशित औपबन्धिक मेधा सूची में उनका नाम 4 क्रमांक पर एवं विपक्षी सं0-05 रंजू देवी का नाम 1 क्रमांक पर अंकित किया गया। उक्त के आलोक में उनके द्वारा आपत्ति भी दिया गया इसके बाबजूद संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा रंजू देवी का चयन कर लिया गया। उक्त के विरुद्ध उनके द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सुपौल के न्यायालय में अपील दाखिल किया गया। उक्त अपील वाद में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सुपौल द्वारा दिनांक 24.06.2022 को विपक्षी सं0-05 रंजू देवी के जाति प्रमाण पत्र को अमान्य एवं शैक्षणिक प्रमाणपत्र को फर्जी धोषित करते हुए चयनमुक्त किया गया परंतु उनका चयन नहीं किया गया। - पुनः अपीलार्थी द्वारा समाहर्ता न्यायालय में अपील वाद सं0-16/2022 दाखिल किया गया। श्रीमान समाहर्ता के नीजी सहायक अमलागण द्वारा रंजू देवी से स्वार्थ सिद्धि की भरपाई कर दिनांक 04.01.2025 को आदेश पारित करवाया गया है जो नैसर्गिक न्याय के प्रतिकूल है एवं खारिज के योग्य है। इस प्रकार से उनके द्वारा विपक्षी सं0-05 के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जाँच करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी सं0-05 की ओर से जबाब- - अपीलार्थी द्वारा लाया गया यह अपील वाद ग्रहण के योग्य नहीं है क्योंकि आंगनवाड़ी चयन मार्गदर्शिका 2016 के कंडिका 13 में स्पष्ट अंकित है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के पारित आदेश के विरुद्ध 30 दिनों के अंदर जिला पदाधिकारी के न्यायालय में अपील दायर की जा सकेगी जो कि स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्ता सुनवाई के लिये प्राधिकृत होंगे तथा जिला पदाधिकारी/अपर समाहर्ता के द्वारा पारित आदेश अंतिम आदेश होगा। - विपक्षी सं0-05 की जन्म तिथि 15.07.79 है जबकि प्रमाण पत्र में 17.07.79 अंकित है। विद्वान समाहर्ता द्वारा अपने आदेश में अंकित किया	



29.9.2026

गया है कि चयन हेतु निर्धारित उम्र 18 से 40 निर्धारित है, प्रभावित नहीं हो रही है। सुधार की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है। इसी आधार पर निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए उनके अपील को स्वीकार करते हुए कार्य करने का आदेश निर्गत किया गया है।

- विपक्षी सं0-05 के द्वारा अपनी जन्म तिथि को सुधार करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय में सी0डब्ल्यू0जे0सी0 15670/2022 दाखिल किया गया जिसमें सचिव संस्कृत शिक्षा बोर्ड पटना को जन्मतिथि को सुधार करने का आदेश दिया गया है। उक्त आदेश के आलोक में जन्मतिथि को सुधार कर 15.07.79 कर दिया गया है।
- अपीलार्थी का यह अपील आवेदन 6 माह के बाद दाखिल किया गया है इसलिये यह बाद कालबाधित भी है।

इस प्रकार विपक्षी सं0-05 के द्वारा प्रश्नगत अपील वाद को खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है।

निम्न न्यायालय आदेश का संरांश :-

- निम्न न्यायालय में उभयपक्ष के दावों को समाहित करते हुए निष्कर्ष के तौर पर अंकित किया गया है कि विभिन्न शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में भिन्न-भिन्न जन्म तिथि यथा 15.07.1979 तथा 17.07.1979 अंकित रहने के कारण निम्न न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को चयनमुक्त कर दिया गया है, जो सही प्रतीत नहीं होता है। अगर अपीलार्थी की जन्मतिथि दिनांक 15.07.1979 के हिसाब से ही उम्र की गणना की जाय तो सेविका चयन की तिथि को अपीलार्थी की उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष की सीमा प्रभावित नहीं होती है। किसी व्यक्ति के शैक्षणिक कागजात में जन्मतिथि भूलवश गलत दर्ज हो जाना चयन से बंचित किये जाने का आधार नहीं हो सकता है, खासकर जब चयन हेतु निर्धारित उम्र संबंधी आहता 18 वर्ष से 40 वर्ष की निर्धारित सीमा प्रभावित न हो। अपीलार्थी के मध्यमा प्रवेश पत्र में जन्मतिथि 15.07.1979 अंकित है लेकिन उत्तीर्णता प्रमाणपत्र में जन्मतिथि 17.07.1979 अंकित है। निम्न न्यायालय अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि संबंधित स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा अपीलार्थी के जन्मतिथि में सुधार करने हेतु कार्रवाई भी की गई है, जो प्रक्रियाधीन है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है।
- उक्त के आलोक में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सुपौल को निदेश दिया गया है कि अपीलार्थी को पंचायत वसविट्टी आंगनवाड़ी केन्द्र सं0- 314 पर सेविका पद पर नियुक्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश पारित किया गया है।

उभयपक्ष के विज्ञ अधिवक्ता एवं सुनवाई में उपस्थित सरकारी अधिवक्ता को सुना। उभयपक्ष समर्पित लिखित दावों एवं निम्न न्यायालय अभिलेख को अवलोकन से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि अपीलार्थी का सेविका पद पर चयन हेतु किया गया दावा आंगनवाड़ी सेविका/सहायिका चयन हेतु मार्गदर्शिका 2016 से संबंधित है। उक्त मार्गदर्शिका की कंडिका 13 में अंकित है कि “जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के पारित आदेश के विरुद्ध 30 दिनों के भीतर जिला पदाधिकारी के न्यायालय में अपील दायर की जा सकेगी जो कि स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्ता सुनवाई के लिये प्राधिकृत होंगे तथा जिला पदाधिकारी/अपर समाहर्ता के द्वारा पारित आदेश अंतिम आदेश होगा। इस



PR

29.9.2026



प्रकार स्पष्ट है प्रश्नगत मामले में द्वितीय अपील का प्रावधान नहीं है।
उपरोक्त के आलोक में इस वाद को खारिज किया जाता है।
निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख संबंधित कार्यालय को वापस करें।

लेखापित एवं शुद्धित।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहारसा

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहारसा।